न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/352

1. लालाराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दा जाति मीना, निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवासी पापड़ वालों की ढाणी, हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. फैलीराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
3. जन्सी पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
4. रामनारायण पुत्र स्व. श्री गोपाल,
5. कजोड़ पुत्र स्व. श्री जगदीश,
6. कृष्ण पुत्र स्व. श्री रामकरण, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री बिरदा,
2. सीताराम पुत्र स्व. श्री बिरदा,
3. शंकर पुत्र स्व. श्री बिरदा,
4. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री बिरदा,
5 मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बिरदा,
6. रामसुख पुत्र स्व. श्री बिरदा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7 तहसीलदार, जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री राकेश कुमार पारीक, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 6 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 14.6.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्राम पापड़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के स्थायी निवासी है एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कि ग्रामीण परिवेश के होने से वे कानूनी प्रक्रिया नही जानते व नही समझते है तथा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 स्व. गोदू पुत्र श्योबक्स की संतान है तथा उनके पूर्वज स्व. गोदू से प्राप्त पैतृक काबिज भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 158 बीघा में से 4 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 428 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 429 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम पापड जिसका इन्द्राज राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

रिकार्ड की जमाबन्दी है जो कि खातेदारी एवं चाही तृतीय किस्म की भूमि है, उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व से ही अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 रामनाथ व मृतक रघुनाथ की संताने अपने पूर्वज गोदू के जीवनकाल से ही काबिज आ रह है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास कर शामलाती रूप से कृषि करते चले आ रहे है एवं अपने पूर्वजों के समय से ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के परदादा व पूर्वज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता बिरदा, गोविन्द, रघुनाथ, रामनाथ के जीवनकाल से ही संयुक्त रूप से विवादित भूमि पर काबिज होकर शामलाती कृषि एवं पक्के मकान बनाकर अपने पशुओं के लिये बाडा बनाकर निवास करते चले आ रहे है एवं गोदू, गोविन्दा रघुनाथ की मृत्यु हो जाने के पश्चात् अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता बिरदा संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान रेस्पोडेन्ट के पिता बिरदा था एवं कब्जे काश्त के अनुसार विवादित भूमि कब्जे काश्त के अनुसार रेस्पोडेन्ट के मृतक पिता बिरदा ने बदनियतिपूर्वक स्वयं के नाम विवादित भूमि का नियमन प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2001 ग्राम पापड में करवाकर उसका नामान्तरकरण संख्या 425 नियम 03.09.2002 के जरिये नियमन खसरा नम्बर 333 रकबा 158 बीघा में से 4 बीघा की गैर खातेदारी अपने नाम गैर कानूनी रूप से लगवा ली जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 428 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 429 रकबा 4 बीघा है, उक्त नियमन करने से पूर्व अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच व बिना राजस्व रिकार्ड की जॉच किये पारित उक्त आदेश दिनांक 10.01.2002 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.02.2019 को यह आदेश पारित किया गया था कि नामान्तरकरण संख्या 425 के कॉलम संख्या 5 एवं 23 में उक्त आराजी की किस्म नाला अंकित है ऐसी स्थिति में तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की विस्तृत जॉच की जावें तथा और यदि उक्त आराजी की किस्म नदी–नाला साबित होने पर वादगस्त आराजी के आवंटन को निरस्त कराने बाबत सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स पेश कर आवंटन निरस्त कराने की प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चत करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय की ओर कौई गौर नही कर मनमाने रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि न्यायिक दोष से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का एवं नियमों का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि एवं न्यायिक दोष के कारण न्यायोचित नही होने के

P.T.O.

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि पक्षकारान संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं गोदू के वंशज है फिर भी उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि को रेस्पोडेन्ट की मानते हुये आवंटन आदेश को बहाल रखने का जो अपीलधीन आदेश पारित किया है, वह मनमाना आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तत्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे है जबकि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है। ऐसे में आवंटन के समय उन्हे किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक ही नही था तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी रेस्पोडेन्ट कब्जे काश्त एवं खसरा गिरदावरी के आधार पर उसे दराज से कब्जे काश्त के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के आदेश द्वारा विवादित भूमि का स्व. बिरदा के पक्ष में नियमन किया गया तथा आवंटित भूमि कभी भी संयुक्त कब्जे काश्त की नही रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 333 की किस्म सम्वत् 2018 में गैर मु. बंजड सोयम थी इसलिये उक्त भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण की विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आवंटन की जानकारी दिनांक 28.10.2015 को होना अंकित किया है एवं उक्त अपील के साथ जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसमें भी यह स्पष्ट है कि भूम रेस्पोडेन्ट के पिता को आवंटित की जा चुकी है। उन्हाने आगे कथन किया है कि आवंटन से पूर्व से ही आवंटित भूमि पर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के पिता बिरदा पुत्र गोदू का कब्जा काश्त था अब बिरदा पुत्र गोदू की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 बदस्तुर काबिज काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 428 व 429 पर बोरिंग भी रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा कराया गया था तथा उक्त भूमि से अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने एवं धन व भूमि ऐंठने की गरज से अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या सरोकार साबित होता हो तथा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनाक 19.01.2021 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 425 के द्वारा बिरदा पुत्र गोदू को खसरा नम्बर 333 में रकबा 4 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार नियमन की गई उक्त्त नियमनशुदा भूमि मौके पर समतल है तथा बोरिंग लगाकर कृषि की जा रही है, मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2008 में गत खसरा नम्बर 608 व 633 में किस्म नदी नाला दर्ज नही होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही होती है। ऐसी स्थित में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त आराजी को नदी नाला से प्रभावित भी नही माना जा सकता। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।